रजिस्ट्री सं. डी. (डी). 73

REGISTERED No. D. (D).73

प्रकाशन 3.20 PM
12/11/80

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 43] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 25, 1980/कार्तिक 3, 1902
No. 43] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 25, 1980/KARTIKA 3, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

B-5, V.No. 3204
P0-501

भाग II—खण्ड 4
Part II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

3/12/80

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर, 1980

का० नि० आ० 306.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और रक्षा मंत्रालय, संयुक्त बीजलेख ब्यूरो, वर्ग 1 और वर्ग 2 (राजपत्रित) और वर्ग 3 (अराजपत्रित) भरतीविषयक नियम, 1969 और रक्षा मंत्रालय, संयुक्त बीजलेख ब्यूरो (समूह 'ख' अराजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1977 को अधिक्रान्त करते हुए रक्षा मंत्रालय, संयुक्त बीजलेख ब्यूरो में समूह 'क' और समूह 'ख' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, संयुक्त बीज लेख समूह 'क' और समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 1980 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना :—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो उक्त नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि :—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हताएं : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है:

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

Attested

Asstt. Controller (Business)
Govt. of India
Department of Publication
Civil Lines. Delhi-54

8	9	10	11	12	13
			Note : All eligible candidates will have to qualify in a written departmental test.	(iv) Director, Joint Cipher Bureau—Member Note : The Proceedings of the Departmental Promotion Committe relating to confirmation shall be sent to the Union Public Service Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.	

I.S. KUMAR, Asstt. Chief Administrative Officer

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर, 1980

का०नि०आ० 307—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा नियम, 1978 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा (संशोधन) नियम, 1980 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा अनुसंधान और विकास नियम, 1978 के नियम 12 में, उपनियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(5) बाद में सेवा में प्रवेश करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो वैज्ञानिक "ग" और उससे ऊपर के पदों पर नियुक्त किए गए हैं, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय अधिवार्षिकी पेंशन के प्रयोजनों के लिए सेवाकाल के बढ़ाए गए वर्षों की प्रसुविधाओं के हकदार होंगे। यह प्रसुविधा ऐसे अधिकारियों को भी अनुज्ञेय होगी जिनकी नियुक्ति रक्षा विज्ञान सेवा में तुल्य पदों पर की गई थी और जिन्हें रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा में संवर्गित कर दिया गया है।"

अ०वे० सुब्रह्मण्यम अय्यर, अवर सचिव

New Delhi, the 10th October, 1980

S.R.O. 307.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Defence Research and Development Service Rules, 1978, namely :—

1. (1) These rules may be called the Defence Research and Development Services (Amendment) Rules, 1980.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Defence Research and Development Services Rules, 1978, in rule 12 for sub-rule (5), the following shall be substituted, namely :—

"(5) Lateral entry candidates appointed to posts of Scientists 'C' and above shall be entitled to the benefits of added years of service for purposes of superannuation pension admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972. This benefits shall also be admissible to officers who were appointed to comparable posts in the Defence Science Service and have been encadred in the Defence Research and Development Service."

A. V. SUBRAMANNIA AYYAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर, 1980

का०नि०आ० 308—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार 12 जनवरी, 1981 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिस तारीख को जालंधर छावनी के वार्ड सं० I में साधारण निर्वाचन किये जाएंगे।

[फा० सं० 29/18/सी०/एल० एण्ड सी०/76/2645/सी० (डी० कैन्टस)]

New Delhi, the 14th October, 1980

S.R.O. 308.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 16 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby fixes 12th January, 1981 as the date on which elections in Ward No. I in Jullundur Cantonment shall be held.

[File No. 29/18/C/L&C/76/2645-C/D(Cantts.)]

का०नि०आ० 309—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार 28 दिसम्बर, 1980 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिस तारीख को आगरा छावनी में साधारण निर्वाचन किये जाएंगे।

[फा०सं० 29/38/सी०/एल० एण्ड सी०/77/2646/सी० (डी० कैन्टस)]

S.R.O. 309.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 16 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby fixes 28th December, 1980 as the date on which elections in Agra Cantonment shall be held.

[File No. 29/38/C/L&C/77/2646-C/D(Cantts)]

Attested

Asstt. Controller (Business)
Govt. of India
Department of Publication
Civil Lines. Delhi-54